पुलिस पर हमला, चुनाव में बाधा डालने वाले छह को कठोर कैद

जौरा न्यायालय का फैसला, लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी घटना

नवभारत न्यूज

मुरैना/जौरा, 19 जून। लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस टीम पर हमला कर चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाए जाने के मामले में जौरा न्यायालय ने छह आरोपियों को दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष कठोर कारावास और 4-4 वर्ष अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार 18 मार्च 2019 को थाना निरार के तत्कालीन थाना प्रभारी रामशरण शर्मा पुलिस बल के साथ लोकसभा चुनाव ड्यूटी के दौरान ग्राम निरार में वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोककर जांच की गई, जिसमें कट्टा मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस द्वारा कट्टा जब्त कर संबंधित व्यक्ति को थाने ले जाने की प्रक्रिया की जा रही थी, तभी कुछ लोग मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस कार्रवाई का विरोध करने लगे। आरोपियों ने शासकीय वाहन को घेर लिया, रास्ता रोककर पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की तथा लाठी-सरियों से हमला कर दिया। हमले में पुलिस दल के सदस्य घायल हो गए। इसके बाद आरोपी पुलिस अभिरक्षा से एक व्यक्ति को छुड़ाकर फरार हो गए। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी अरविंद, सुरेश, कल्ली एवं लल्ला गुर्जर को दोषी मानते हुए एक वर्ष छह माह के कठोर कारावास एवं चार-चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं दशरथ गुर्जर एवं बलवीर गुर्जर को धारा 332 के तहत एक वर्ष छह माह के कठोर कारावास एवं दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसके अतिरिक्त जस्सो गुर्जर को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

पराक्रम स्वाभिमान यात्रा का स्वागत

मुरैना, 19 जून। महाराजा मान सिंह तोमर जी दुर्ग (किला) गेट हजीरा ग्वालियर से प्रारम्भ हुई और यात्रा ग्वालियर से छीमका, एडोरी, चिराई भौनपुरा, सिहोनिया, कोलुआ, भिड़ोसा, लेपा, सांगोली, कोथर, भजपुरा, गढ़ी प्रेमपुरा, पोरसा, थरा, लालजीतपुरा, अम्बाह, रानपुर होते हुए शाम 06:00 बजे चिल्लाशन मैया जी का मन्दिर ऐसाहगढ़ में यात्रा का समापन हुआ। श्री बालक दास महाराज अगवाई में यात्रा निकाली गई और संत कृपाल सिंह महाराज जी एवं कुं. देवेन्द्र प्रताप सिंह तोमर (रामू भैया) ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के संचालक रामचन्द्र सिंह तोमर (सांगोली) और इस यात्रा में सबसे ज्यादा भागेदारी दिनेश सिंह तोमर सब इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच (नगरा) की रही सहयोगी के रूप में कुं. योगेश सिंह तोमर (जिला अध्यक्ष) राजपूत महापंचायत ग्वालियर, योगेंद्र सिंह तोमर आरक्षक क्राइम ब्रांच, मातादीन सिंह परमार, सत्यवीर सिंह तोमर, मानसिंह तोमर संदीप सिंह तोमर राजू सिंह तोमर और यात्रा के दौरान सहयोगी इंद्रपाल सिंह तोमर, अजीत सिंह तोमर, अरविंद सिंह तोमर, बृजेश सिंह तोमर कोबरा, सुखबीर सिंह तोमर, धर्मराज सिंह तोमर, भारत सिंह तोमर, दिलीप सिंह तोमर, लोकेंद्र सिंह तोमर, कृष्णसिंह जादौन, राम अवतार सिंह परमार, जल सिंह तोमर, जितेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, राजेश सिंह तोमर थरा, रोहित सिंह तोमर और समस्त पूर्व सैनिक एवं समस्त पराक्रम स्वाभिमान यात्रा टीम ओर यात्रा का स्वागत ओर सहयोग ग्वालियर शहर एवं समस्त तंवर घार ने किया।

एसपी ने ली कोचिंग संचालकों की बैठक

नवभारत न्यूज

मुरैना, 19 जून। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना द्वारा दिनांक 19.06.26 को पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम में शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक आयोजित में विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, अनुशासित एवं सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में लगभग 35-40 कोचिंग संचालक उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कोचिंग संचालकों की समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना गया तथा छात्र - छात्राओं की सुरक्षा, महिला सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की प्रभावी व्यवस्था, आपातकालीन स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता एवं कोचिंग संस्थानों के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने संबंधी विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

सभी कोचिंग संचालकों को पुलिस कंट्रोल रूम मुरैना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए गए तथा निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, असामाजिक गतिविधि, अव्यवस्था अथवा संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, जिससे समय पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही विद्यार्थियों के आवागमन के समय यातायात व्यवस्था एवं सुरक्षा के लिए पुलिस एवं कोचिंग संचालकों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर बल दिया गया।

इस दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार है : सभी कोचिंग संस्थानों में कार्यशील सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं एवं कम से कम 30 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखा जाए, संस्थान के प्रवेश एवं निकास द्वार सहित परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, छात्र - छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, संदिग्ध गतिविधि अथवा असामाजिक तत्वों की सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए, कोचिंग संस्थानों के बाहर अनावश्यक भीड़ एवं अव्यवस्थित पार्किंग नहीं होने दी जाए, जिससे यातायात बाधित न हो, विद्यार्थियों को साइबर अपराध, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग एवं अफवाहों से बचने के लिए नियमित रूप से जागरूक किया जाए, कोचिंग संस्थानों के आसपास नशा, धूम्रपान एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को दी जाए, महिला हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं आपातकालीन सेवा 112 की जानकारी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाए, संस्थान में कार्यरत समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अन्य स्टाफ का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए तथा उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए, संस्थान में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं तथा अग्निशामक यंत्र, फायर अलार्म एवं अन्य आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण कार्यशील स्थिति में उपलब्ध रखे जाएं। समय-समय पर उनकी जांच एवं वैधता का भी परीक्षण कराया जाए, किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु संस्थान स्तर पर सुरक्षा एवं निकासी योजना तैयार रखी जाए तथा स्टाफ को उसका प्रशिक्षण दिया जाए, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए तथा सड़क पर अव्यवस्थित रूप से वाहन खड़े न किए जाएं, सभी कोचिंग संचालक विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, अनुशासित एवं भयमुक्त शैक्षणिक वातावरण निर्मित करने में पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें।

संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की प्रभावी व्यवस्था होगी

उक्त बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह डावर, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती दीपाली चन्दौरिया, रक्षित निरीक्षक रविकान्त शुक्ला, निरी. अमित भदौरिया थाना प्रभारी कोतवाली, निरी. उदयभान सिंह यादव थाना प्रभारी सिविल लाईन, उनि अरूण सिंह थाना कोतवाली एवं संबंधित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, वारदात में प्रयुक्त पिस्टल जब्त

नवभारत न्यूज

मुरैना, 19 जून। कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक पर फायरिंग कर घायल करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद की है।

जानकारी के अनुसार 26 मई को फरियादी चरण पुत्र द्वारिका गोस्वामी निवासी घरसोला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह हरिजन थाने के पास दुकान पर नाश्ता कर रहा था, तभी स्कूटी सवार दो अज्ञात युवक आए और पिस्टल से फायर कर दिया। गोली चलाने वाले आरोपी के हाथ और स्कूटी चालक की पीठ में लगने से फरियादी घायल हो गया। 18 जून को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी निखिल तिवारी निवासी गोपालपुरा और राहुल सिकरवार निवासी तोर तिलावली हाल गोपालपुरा को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 32 बोर की पिस्टल और एक जिंदा राउण्ड बरामद किए है। कार्रवाई में निरीक्षक अमित सिंह भदौरिया और उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही है।

कैमारा खुर्द में 200 ट्रॉली अवैध रेत नष्ट किया

नवभारत न्यूज

मुरैना, 19 जून। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना (भापुसे) द्वारा जिले में रेत का अवैध रूप से परिवहन, उत्खनन एवं भण्डारण करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु संपूर्ण मुरैना जिले में विशेष अभियान संचालित कराया जाकर जिला मुरैना के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण (पुलिस) एवं थाना प्रभारियों को चंबल नदी के अवैध रेत परिवहन / उत्खनन / भण्डारण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं अवैध रेत परिवहन हेतु प्रयुक्त मार्गों की पहचान कर रास्तों में गड्ढे खुदवाकर मार्ग अवरूद्ध करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त अभियान के तारतम्य में अति. पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह डावर के निर्देशन एवं प्रभारी एसडीओपी सबलगढ़ उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना टैंटरा पुलिस, एस.ए.एफ. एवं वन विभाग के संयुक्त बल द्वारा पर ग्राम कैमारा खुर्द में अवैध रूप से भण्डारित रेत का नष्टीकरण किया गया।

दिनांक 19.06.26 को पुलिस, एसएएफ एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करते हुए मय दल-बल की उपस्थिति में ग्राम कैमारा खुर्द पर पहुंचकर देखा तो वहां पर सड़क के किनारे करीबन 200 ट्रॉली रेत अवैध रूप से भण्डारित पाया गया, तदोपरांत पुलिस, वन विभाग एवं एसएएफ के संयुक्त बल द्वारा उक्त अवैध रूप से भण्डारित की गई करीबन 200 ट्रॉली (400 घनमीटर) रेत कीमती करीबन 4. 40 लाख को 01 लोडर के माध्यम से मिट्टी में मिलाकर नष्ट किया गया।

एक नजर में

युवा समाजसेवी जसरथ प्रजापति विधायक प्रतिनिधि बने

मुरैना, 19 जून। विधानसभा क्षेत्र जौरा में समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय युवा जसरथ प्रजापति को जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। श्री प्रजापति ने अपनी नियुक्ति पर विधायक श्री उपाध्याय के प्रति आभार जताया है। उनकी नियुक्ति पर प्रजापति समाज के जिलाध्यक्ष दिनेश प्रजापति सहित समाजबंधुओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं है।

5 गरीब बच्चियों की शादी कराई गई

मुरैना, 19 जून। ठाकुर राजमनी सिंह दंडोतिया शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति के द्वारा प्रेम संगम गार्डन बायपास मुरैना शुक्रवार को 05 गरीब बच्चियों की शादियाँ सम्पन्न करायीं। इस अवसर पर ब्रजेश शर्मा, अजय सिकरवार, अमित शर्मा, दिलीप कुशवाह, दीपक कुशवाह, गिरीश अग्रवाल, अशोक प्रेमलता बंसल, कृष्णभान गर्ग आदि मौजूद थे।

315 बोर तमंचा, जिंदा राउण्ड के साथ बदमाश पकड़ा

मुरैना, 19 जून। बागचीनी पुलिस ने 19 जून को कट्टा, जिंदा राउण्ड के साथ एक युवक को पकड़ा। जानकारी के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम तातियापुरा मोड़ के पास खड़े एक युवक को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से 315 बोर का तमंचा और दो जिंदा राउण्ड और एक मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज किया है। कार्रवाई में निरीक्षक शशि कुमार और उनकी टीम शामिल थी।

कल जिलेभर में उत्साहपूर्वक मनेगा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

मुरैना, 19 जून। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2026 को जिलेभर में जिला, विकासखंड, नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर मुख्य कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का उद्देश्य नागरिकों को योग के प्रति जागरूक करते हुए उसे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने तथा स्वस्थ, संतुलित एवं निरोगी जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक योगाभ्यास के माध्यम से योग के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभों का संदेश जनसामान्य तक पहुंचाया जाएगा।

भारतीय डाक विभाग में डायरेक्ट एजेंटों के चयन हेतु साक्षात्कार 30 जून तक

मुरैना, 19 जून। भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा के व्यवसाय अर्जन के लिए डायरेक्ट एजेंटों का चयन किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 जून तक प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 11 बजे अधीक्षक डाकघर, चंबल संभाग, मुरैना कार्यालय में आयोजित साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकते हैं। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को 10वीं की अंकसूची, कंप्यूटर दक्षता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा।अधीक्षक डाकघर, चंबल संभाग, मुरैना ने पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तक साक्षात्कार में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

पुलिस व वन विभाग टीम ने 550 ट्रॉली अवैध रेत नष्ट कराया

मुरैना, 19 जून। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना (भापुसे) द्वारा जिले में रेत का अवैध रूप से परिवहन, उत्खनन एवं भण्डारण करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु संपूर्ण मुरैना जिले में विशेष अभियान संचालित कराया जाकर जिला मुरैना के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण (पुलिस) एवं थाना प्रभारियों को चंबल नदी के अवैध रेत परिवहन / उत्खनन / भण्डारण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त अभियान के तारतम्य में अति. पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह डावर के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक मुरैना श्रीमती दीपाली चन्दौरिया के मार्गदर्शन में थाना सरायछौला पुलिस एवं वन विभाग के संयुक्त बल द्वारा दिनांक 19.06.2026 को ग्राम गयापुरा में अवैध रूप से भण्डारित किए गए लगभग 550 ट्रॉली रेत का नष्टीकरण किया गया।

दिनांक 19.06.26 को थाना सरायछौला पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करते हुए मय दल-बल की उपस्थिति में स्थान ग्राम गयापुरा में पहुंचकर दबिश दी गई, तो वहां पर करीबन 550 ट्रॉली रेत अवैध रूप से भण्डारित पाया गया, तदोपरांत पुलिस एवं वन विभाग के संयुक्त बल द्वारा उक्त अवैध रूप से भण्डारित किए गए करीबन 550 ट्रॉली (1100 घनमीटर) रेत कीमती करीबन 11 लाख को 01 जेसीबी मशीन एवं 02 लोडर के माध्यम से मिट्टी में मिलाकर नष्ट किया गया।

सराहनीय योगदानः- उक्त कार्यवाही में उनि के. के. सिंह थाना प्रभारी सरायछौला एवं थाना सरायछौला के 12 कर्मचारी, एसडीओ फोरेस्ट श्याम सुंदर चौहान एवं वन विभाग 12 अधिकारी / कर्मचारी के कर्मचारियों सहित लगभग 24 जवानो का सराहनीय योगदान रहा है।

मारपीट-फायरिंग मामले में फरार पांच आरोपी गिरफ्तार

मुरैना, 19 जून। नूराबाद पुलिस ने मारपीट और फायरिंग की धाराओं में दर्ज अपराध में फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर की रायफल और एक कट्टा कीमती 20 हजार रूपये नकदी बरामद किए है।

315 बोर की बंदूक और एक कट्टा बरामद

पुलिस ने बताया कि 5 जून को फरियादी हरेन्द्र गुर्जर नि. जरेरूआ की रिपोर्ट पर मनोज पुत्र रघुराज गुर्जर एवं भरत पुत्र जंगजीत गुर्जर सहित 5 आरोपियों के विरुद्ध मारपीट और फायरिंग की धाराओं में अपराध दर्ज किया था। घटना में शामिल आरोपी फरार बने हुए थे। 17 जून को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मनोज एवं भरत सहित पांच आरोपियों को टेकरी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मनोज, भरत के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर की रायफल और एक कट्टा बरामद किए है। कार्रवाई में एसआई सौरभ पुरी, एएसआई सुधाकर चतुर्वेदी, प्र.आर. दातार सिंह, आरक्षक अजय गुर्जर, सुरेन्द्र कुशवाह शामिल थे।

न्यायालय परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित

नवभारत न्यूज

मुरैना, 19 जून। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना श्रीमती संगीता मदान की अध्यक्षता में शुक्रवार को एडीआर भवन, जिला न्यायालय परिसर मुरैना में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर श्रीमती संगीता मदान ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आयोजित शिविर में जिला चिकित्सालय मुरैना की चिकित्सक एवं पैरामेडिकल टीम द्वारा न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं तथा कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आवश्यकता अनुसार परामर्श प्रदान करने के साथ ही दवाइयों का भी वितरण किया गया। शिविर में न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, कर्मचारी तथा जिला चिकित्सालय मुरैना के चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफउपस्थित रहे।

यातायात पुलिस ने बसों में सुरक्षा एवं दिशा-निर्देश चस्पा किए

मुरैना, 19 जून। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना (भा.पु.से.) द्वारा दिनांक 18.06.26 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह डावर के मार्गदर्शन में थाना यातायात पुलिस द्वारा जिले में सुरक्षित यातायात व्यवस्था एवं यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आज दिनांक 19.06.26 को मुरैना जिले में संचालित यात्री बसों में बस संचालकों हेतु पुलिस-प्रशासन के दिशा-निर्देश संबंधी सूचना पोस्टर लगाए गए हैं, ताकि बस संचालक, चालक, परिचालक एवं यात्रियों को यातायात नियमों तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यक निर्देशों की निरंतर जानकारी मिलती रहे।

इन दिशा-निर्देशों में मोटर वाहन अधिनियम का पालन, सीसीटीव्ही कैमरों की उपलब्धता, चालक-परिचालक पुलिस सत्यापन, बसों के वैध दस्तावेज अद्यतन रखना, चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, ओवरलोडिंग पर प्रतिबंध, निर्धारित बस स्टॉप से ही यात्री चढ़ाना - उतारना, तेज गति एवं लापरवाही से वाहन संचालन पर रोक, जीपीएस, नशामुक्त वाहन संचालन, रात्रिकालीन संचालन में पर्याप्त विश्राम, फर्स्ट एड बॉक्स एवं अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता, महिला, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देना तथा अवैध पार्किंग एवं अवैध वसूली से बचने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है।

मुरैना पुलिस का उद्देश्य बस संचालन को अधिक सुरक्षित, अनुशासित एवं यात्री हितैषी बनाना है। पुलिस प्रशासन ने सभी बस संचालकों, चालक-परिचालकों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। यात्री सुरक्षा, सड़क सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।

सराहनीय योगदानः उक्त कार्यवाही में संतोष भदौरिया थाना प्रभारी यातायात, प्रआर नरेश पटेल, आरक्षक योगेश भारती, आरक्षक पवन सिरकवार, आरक्षक रविकांत शर्मा, आरक्षक हरेन्द्र जाट सहित यातायात पुलिस बल का सराहनीय योगदान रहा है।

सफलता की कहानी

बानमौर छात्रावास के मोनू नागोरिया बने पुलिस आरक्षक

प्रथम प्रयास में हासिल की सफलता, युवाओं के लिए बने प्रेरणास्रोत

नवभारत न्यूज

मुरैना, 19 जून। दृढ़ संकल्प, कठोर परिश्रम और अनुशासित जीवनशैली किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की सबसे बड़ी कुंजी है। इस तथ्य को सिद्ध करते हुए शासकीय महाविद्यालयीन अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, बानमौर के छात्र मोनू नागोरिया ने मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण कर उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। उनकी उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि छात्रावास, ग्राम और जिले के लिए भी गौरव का विषय बनी है।

तहसील जौरा के ग्राम थेहा (ग्राम पंचायत बुढ़ावली) निवासी मोनू नागोरिया, मोहर सिंह नागोरिया के पुत्र हैं तथा वर्तमान में डी. फार्मा की पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रावास में रहते हुए उन्होंने नियमित अध्ययन, समयबद्ध दिनचर्या और ऑनलाइन माध्यम से सतत स्वाध्याय को अपनी सफलता का आधार बनाया। कठिन परिश्रम और लगन के बल पर उन्होंने पुलिस आरक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा प्रथम प्रयास में ही सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली।

लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद मोनू ने चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए लगभग दो माह तक नियमित एवं कठोर शारीरिक प्रशिक्षण किया। उनकी अथक मेहनत, आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण का परिणाम रहा कि उन्होंने अंतिम चयन सूची में स्थान बनाते हुए मध्यप्रदेश पुलिस में आरक्षक पद प्राप्त किया।

छात्रावास अधीक्षक दर्शन सिंह धाकड़ ने बताया कि मोनू की सफलता छात्रावास में अध्ययनरत अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। उनकी उपलब्धि से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों में नया उत्साह और आत्मविश्वास जागृत हुआ है तथा वे भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक समर्पण के साथ प्रयासरत हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग, जिला मुरैना द्वारा छात्रावासों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण, अनुशासित अध्ययन व्यवस्था तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मोनू नागोरिया की सफलता इस बात का प्रमाण है कि उचित मार्गदर्शन, निरंतर परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ किसी भी चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है तथा सफलता के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं।

बस संचालन में मनमानी पर लगेगा अंकुश, नियम तोड़ने पर कार्रवाई

मुरैना, 19 जून। यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारू बनाने के उद्देश्य से एसपी धर्मराज मीणा ने पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम में बस संचालकों एवं प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार, लापरवाही से वाहन चलाने और बिना दस्तावेज बस संचालन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

एसपी ने बस संचालकों को परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेज अपडेट रखने तथा चालकों के लाइसेंस व आवश्यक दस्तावेजों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्धारित बस स्टॉप से ही सवारी बैठाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र पाल सिंह डाबर, रक्षित निरीक्षक रविकांत शुक्ला, यातायात थाना प्रभारी संतोष भदौरिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।